"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 फरवरी 2015—माघ 17, शक 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रिंकी पाण्डेय ध.प. सूरज पाण्डेय, आयु 25 वर्ष, निवासी-मकान नं. 2 बी, सड़क 10, सेक्टर 7, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मैं रिंकी कुमारी, राशि नाम लक्ष्मी आत्मजा सत्यदेव तिवारी, ग्राम रानीपुर पो. भोरे थाना विजयीपुर जिला गोपालगंज (बिहार) के नाम से जानी पहचानी जाती थी तथा यही नाम मेरे समस्त शाला अभिलेखों में दर्ज है. मेरे राशि नाम लक्ष्मी मेरे पति के सर्विस बुक में लक्ष्मी पाण्डेय दर्ज हो गया है. मेरा विवाह दिनांक 4-6-2009 को सूरज पाण्डेय आ. दिनेश पाण्डेय के साथ हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती रिंकी पाण्डेय रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती रिंकी पाण्डेय ध.प. सूरज पाण्डेय के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
रिंकी कुमारी, राशि नाम लक्ष्मी पिता-श्री सत्यदेव तिवारी निवासी-ग्राम रानीपुर, पो. भोरे थाना विजयीपुर जिला-गोपालगंज (बिहार)	श्रीमती रिंकी पाण्डेय पति-श्री सूरज पाण्डेय निवासी-मकान नं. 2 बी, सड़क 10, सेक्टर 7, भिलाई थाना भिलाई नगर, कोतवाली भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सौम्या नागदेव जौजे राहुल नागदेव, उम्र 25 वर्ष, निवासी-नेताजी होटल के पीछे, कटोरा तालाब रायपुर (छ.ग.) हाल मुकाम इण्डियन आयल कार्पोरेशन सिलतरा रायपुर (छ.ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. प्रियंका खेमानी आत्मजा श्री अनिल खेमानी था तथा मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 18-4-2014 को श्री राहुल नागदेव आ. श्री अशोक नागदेव निवासी जोधा पिपल देवीगंज रोड अंबिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के साथ हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती सौम्या नागदेव रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती सौम्या नागदेव जौजे श्री राहुल नागदेव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कु. प्रियंका खेमानी पिता-श्री अनिल खेमानी निवासी-नेताजी होटल के पीछे, कटोरा तालाब रायुपर (छ.ग.)	श्रीमती सौम्या नागदेव पति-श्री राहुल नागदेव निवासी-जोधा पिपल, देवीगंज रोड, अंबिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, इन्दरजीत सिंह टुटेजा पिता स्व. प्रीतम सिंह टुटेजा, उम्र 55 वर्ष, निवासी-मकान नं. एम.डी. 958, दीपका कालोनी, दीपका, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.) का हूं. यह कि मैं अपने पुत्र रितिक/धर्मेन्द्र टुटेजा का नाम परिवर्तित कर नया नाम बलवंत सिंह टुटेजा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को बलवंत सिंह टुटेजा पिता इन्दरजीत सिंह टुटेजा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
रितिक/धर्मेन्द्र टुटेजा (RITIK/DHARMENDRA TUTEJA) पिता-इन्दरजीत सिंह टुटेजा माता-श्रीमती सुषमा टुटेजा निवासी-मकान नं. एम.डी. 958, दीपका कालोनी, दीपका तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)	बलवंत सिंह टुटेजा (BALWANT SINGH TUTEJA) पिता-इन्दरजीत सिंह टुटेजा माता-श्रीमती सुषमा टुटेजा निवासी-मकान नं. एम.डी. 958, दीपका कालोनी, दीपका तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कु. दानेश्वरी सिन्हा पिता श्री दामोदर सिन्हा, आयु 25 वर्ष, जाति कलार, निवासी-278/ए, रिसाली सेक्टर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त दस्तावेजों जैसे पेन कार्ड, आधार कार्ड, अंकसूची में मेरा नाम दानेश्वरी सिन्हा दर्ज है जो सत्य व सही है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम रानी सिन्हा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे रानी सिन्हा पिता श्री दामोदर सिन्हा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कु. दानेश्वरी सिन्हा पिता-श्री दामोदर सिन्हा निवासी-म. नं. 278/ए, रिसाली सेक्टर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)	कु. रानी सिन्हा पिता-श्री दामोदर सिन्हा निवासी-म. नं. 278/ए, रिसाली सेक्टर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH
(Statutory Body Under the Advocate Act 1961)
High Court Premises Bilaspur (C.G.)

Bilaspur, the 2nd February 2015

Ref. No. SBC/CG/Notification/2015/102.—In the term of Rule 8 of Advocate Act 1961 after completion of the election process, the State Bar Council of Chhattisgarh in its First Meeting dt. 1st Feb 2015 has resolved to elect the following Hon'ble Members as the Office Bearers of the Council.

Part A

1. Shri Koshram Sahu
   Advocate, Chairman,
   State Bar Council of Chhattisgarh
   Junior HIG 15, Dawra Colony Pachpedi Naka Raipur (C.G.)
   Mobile No. 99265-61819
2. Madam Neeta Jain
   Advocate, Vice Chairman,
   State Bar Council of Chhattisgarh
   Anand Stores, Jawaher Chowk, Durg (C.G.)
   Mobile No. 93290-25436
3. Shri Ashok Kumar Tiwari
   Advocate, Treasurer
   State Bar Council of Chhattisgarh
   Mig-23, R.P. Nagar, Korba (C.G.)
   Mobile No. 94252-24143

Part B

In the term of Part II Chapter I of Bar Council of India Rules and Section 4 (1) (c) of Advocates Act 1961 the State Bar Council of Chhattisgarh in its First Meeting on 01st Feb. 2015 has resolved to elect Hon'ble Member Shri Shailendra Dubey, Advocate as the Representative Member of Bar Council of India for the State of Chhattisgarh.

Shri Shailendra Dubey
Advocate,
Member Bar Council of India,
State Bar Council of Chhattisgarh
1-Shivayatan, Hari Krishna Colony, Bilaspur (C.G.)
Mobile No. 98271-84655

MALLIKA BAL
Officiating Secretary.

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2015

प्र. क्र./138 /ब-113 (1)/वर्ष 2014-15

क्रमांक/138/अ.वि.अ./ट्रस्ट/2015.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री मुनीश सग्गर द्वारा "रोटरी क्लब ऑफ रायपुर ग्रेटर ट्रस्ट" किश्चिन कालोनी राजातालाब रायपुर, तहसील व जिला रायपुर का छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से दिनांक 27-02-2015 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 20-01-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	"रोटरी क्लब ऑफ रायपुर ग्रेटर ट्रस्ट" किश्चिन कालोनी राजातालाब रायपुर, तहसील व जिला रायपुर छ.ग.
(2)	चल संपत्ति	:	5000/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2015

प्र. क्र./139/ब-113 (1)/वर्ष 2014-15

क्रमांक/139/अ.वि.अ./ट्रस्ट/2015.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक डॉ. नीलम कालडा द्वारा "हार्दिक सुनील फाउण्डेशन ट्रस्ट" कालडा प्लास्टिक सर्जरी सेंटर, राजकुमार कालेज मेन गेट के सामने जी.ई.रोड रायपुर, तहसील व जिला रायपुर का छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से दिनांक 27-02-2015 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 20-01-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	"हार्दिक सुनील फाउण्डेशन ट्रस्ट" कालडा प्लास्टिक सर्जरी सेंटर, राजकुमार कालेज मेन गेट के सामने जी.ई.रोड, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	14,522/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

एस. के. अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.